

प्रेषक,

बानू राम,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र, प्रीति विहार,  
नई दिल्ली।

विषय (2) अनुभाग

लाघनक: दिनांक: २४ फरवरी, 2006

विषय:-

चन्द्रावती पब्लिक स्कूल स्थाना बुलन्दशहर को सी०बी०एस०ई० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी०बी०एस०ई० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- (1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (2) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेंड्री एजुकेशन नईदिल्ली/कांसिल आफ दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जांमिनेशन नईदिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
- (5) संस्था के शैक्षिक एवं शिक्सेत्तर कर्मचारियों का राजकीय-सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।



प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक,  
प्रथम मण्डल मेरठ।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक/अर्थ/

/2004-05 दिनांक 29-3-05

विषय :-

चन्द्रावती पब्लिक स्कूल, स्याना (बुलन्दशहर) को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु उत्तर प्रदेश शासन से अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विद्यालय द्वारा सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु उत्तर प्रदेश शासन से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत पत्रजातों के आधार पर दिनांक 11-03-2005 को विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण किया गया। उक्त निरीक्षण के आधार पर स्थलीय निरीक्षण आख्या तैयार कर 02 प्रतियों में आपकी सेवा में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक :- उक्तवत् ।

भवदीय,

4

(जयप्रकाश राय)

संयुक्त शिक्षा निदेशक,  
प्रथम मण्डल मेरठ।

पृष्ठांकन संख्या/अर्थ/12146-47

/2004-05 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि प्रबन्धक, चन्द्रावती पब्लिक स्कूल, स्याना (बुलन्दशहर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2 प्रतियां  
शिक्षा निदेशक

13/4/05



24/3/05

(जयप्रकाश राय)

संयुक्त शिक्षा निदेशक,  
प्रथम मण्डल मेरठ।

- (6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
  - (7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
  - (8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
  - (9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।
- 2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

(बाबू राम)  
अनु सचिव।

पू0सं0- 3523(1)/15-7-2006 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, बुलन्दशहर ।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ0प्र0, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, चन्द्रावती पब्लिक स्कूल स्याना बुलन्दशहर ।
- 6- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(बाबू राम)  
अनु सचिव।